न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –108 / 2020
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020 / 00134

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
रामचन्द्र पुत्र हनुमान राम जाट निवासी बाड़ाणी, तहसील व जिला नागौर		1. तहसीलदार, नागौर 2. पटवारी हल्का, बाड़ाणी

उपस्थिति:–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा।
2. रेस्पोडेण्टस् की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय **दिनांक** 22-07-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 142 / 2019 बअनवान सरकार बनाम रामचन्द्र अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा बाड़ाणी के खसरा नम्बर 157 रकबा 00–01 बीघा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर दूकान/ मकान बनाकर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 16.12.2019 को जवाब पेश हेतु न्यायालय तहसीलदार राजस्व नागौर में उपस्थित होने हेतु कहा गया। नोटिस तामिल सुदा शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.12.2019 को गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। गैर सायल को समय दिया गया तथा इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का भू अभिलेख निरीक्षक अलाय से वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट चाही गई है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 09.06.2020 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 157 रकबा 0–02 बीघा गै. मु. रास्ता में से 0–01 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ग्राम पंचायत बाड़ाणी द्वारा उक्त संरचना के दक्षिण में गौरव पथ का निर्माण किया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.12.2019 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र हनुमानराम द्वारा अतिक्रमित भूमि 0–01 बीघा में से 19 X 22 = 418 वर्गफुट तथा 10 X 5 = 50 वर्ग फुट कुल 468 वर्गफुट पर पक्का अतिक्रमण है तथा शेष खाली हैं। गैर सायल द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 12.06.2020 को जवाब पेश किया गया। जवाब के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौजा बाड़ाणी के खसरा नम्बर 157 रकबा 0–01 बीघा गैर मुमकिन रास्ते पर सम्वत् 2076 में अतिक्रमी मानते हुए गैर सायल रामचन्द्र के विरूद्व गलत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया बल्कि पीढ़ियो से अप्रार्थी रामचन्द्र की कब्जे व स्वामित्व की स्थित रही तथा पुराने समय से प्रार्थी रामचन्द्र व उसके पिता हनुमानराम के समय से उक्त भूमि पर मकान इत्यादि बनाये हुए है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय आदि में प्रकरण [illegible] रामचन्द्र की दुकाने व मकान पुराने समय से नेशनल हाईवे रोड़ पर 89 के पूर्वी तरफ [illegible] हुए [illegible] जो 50 साल से पुराना अप्रार्थी के पिता के समय से कब्जा स्थित र[illegible] ही उक्त जायगा पर दुकाने व मकान इत्यादि बनाये गये है ताकि अप्रार्थी को उक्त प्[illegible] 30X60 जिसमें पूर्वी पश्चिमी भुजा 30 फुट व उत्तर दक्षिणी भुजा 60 फुट है। उक्त प्लॉट पुराने समय से पीढ़ियो से अप्रार्थी व उसके पूर्वजो के कब्जा व स्वामित्व का स्थित है तथा उक्त ज[illegible] में आज से 50 वर्ष पुरानी [illegible] दुकान बनी हुई है तथा उक्त प्लॉट दुकान व मकान में उत्तरी तरफ अखाराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी अलाय शिकायतकर्ता जो पुराने समय से अप्रार्थी के पिता के समय से दुश्मनी रखता आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:29 IST
Reason: SelfAttested

है तथा उक्त जायगा का पूर्व से पट्टा शिकायतकर्ता अखाराम द्वारा अपने नाम फर्जी व कूट रचित तरीके से बनवा लिया, जिस पर अप्रार्थी के पिता अनुसार द्वारा एक अपील धारा 75 एल आर एक्ट के तहत विरूद्व शिकायतकर्ता के प्रस्तुत की जिसमें मौजा बारानी के खसरा नम्बर 226 में स्थित 09 बिस्वा भूमि में नियमन के संबंध में प्रस्तुत की जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त अपील संख्या 133 / 93 बअनवान हनुमानराम बनाम अखाराम में दिनांक 15.05.1995 को तहसीलदार नागौर के निर्णय दिनांक 22.05.1993 के विरूद्व में निर्णय पारित किया गया जिसमें तहसीलदार नागौर के निर्णय दिनांक 22.05.1993 को निरस्त करते हुए अप्रार्थी के पिता हनुमानराम के पक्ष में निर्णय दिनांक 15.05.1995 को पारित किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि पुराने समय से अप्रार्थी व उसके पूर्वजो की स्थित रही तथा शिकायतकर्ता अखाराम पुत्र कोशाराम द्वारा उक्त खसरा नम्बर 226 के उत्तर में चिपते खसरा नम्बर 159 रकबा 03–02 बीघा मे से 0–01 बीघा भूमि दिनांक 16.07.1993 को भगवान भारती पुत्र मुकन भारती से शिकायतकर्ता अखाराम चिपते उत्तर की तरफ स्थित है में अखाराम का मकान दुकान इत्यादि बने हुए है तथा पुराने समय से शिकायतकर्ता अखाराम द्वारा अप्रार्थी व उसके पिता हनुमानराम के विरूद्व अप्रार्थी की जायगा को रास्ता की भूमि बताकर गलत रूप से तंग व परेशान करता आ रहा है। जबकि उक्त भूमि कभी भी रास्ते के रूप में उक्त जायगा को दक्षिणी तरफ आगे रास्ता आने जाने हेतु ग्रामीणो के काम में आता रहा है तथा जिस जगह शिकायतकर्ता अखाराम अप्रार्थी की जायगा में रास्ता बतलाया गया वो गलत रूप से अप्रार्थी के विरूद्व 91 की कार्यवाही दर्ज करवाई गई जबकि अप्रार्थी द्वारा किसी भी रास्ते पर अतिक्रमण नहीं किया गया जो पूर्व में एडीएम कोर्ट नागौर के समक्ष विचाराधीन पत्रावली अपील संख्या 133 / 93 से भली भांती साबित है तथा उस दरमियान पत्रावली पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक अलाय द्वारा मौका रिपोर्ट से भी भली भांति साबित है तथा एडीएम कोर्ट नागौर के निर्णय से भी उक्त जायगा अप्रार्थी की स्वामित्व व कब्जा की जायगा होना साबित है तथा पूर्व में दिनांक 25.07.2019 को अप्रार्थी व अन्य ग्रामवासी श्रीमानजी के समक्ष उक्त अप्रार्थी की जायगा के संबंध में व अप्रार्थी का किसी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही होने के संबंध में प्रस्तुत हुए तथा अजा अप्रार्थी के साथ अन्य ग्रामवासी उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है तथा अप्रार्थी का किसी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही है व झूठी शिकायत के आधार पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है जिस कार्यवाही को ड्रोप किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। पूर्व में नेशनल हाईवे 89 को चौड़ा किया गया जिसमें अप्रार्थी की उक्त जायगा का कुछ हिस्सा रोड़ हेतु अवाप्त जारी गया जिसमे उक्त हिस्से अवाप्त सुदा भूमि के ऐवज में अप्रार्थी के पक्ष में 45798 / – रूपये का अवार्ड जारी हुआ व अप्रार्थी के पिता द्वारा उक्त अवाप्त सुदा राशि उठाई गई इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी प्रथम दृष्टया अप्रार्थी की उक्त जायगा मानी है तथा अप्रार्थी के स्वामित्व व कब्जा की मानकर ही अवाप्त सुदा भूमि की अवार्ड राशि जारी की है। इस आधार पर अप्रार्थी उक्त भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमी नहीं है। इस कारण अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप की जाना आवश्यक व न्याय संगत होना बताया जाकर अप्रार्थी की जायगा का नियमन किया जावे। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस व प्रस्तुत जबाब पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 4.12.2019 भू.अ. निरीक्षक अलाय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.6.2020 व राजस्व अभिलेख का अध्ययन किया गया। उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर ग्राम बाड़ाणी के खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन रास्ता की राजकीय भूमि रकबा 0–02 बीघा में से 0–01 बीघा पर रामचन्द्र पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी बाड़ाणी का अतिक्रमण होना सिद्व होता है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत रामचन्द्र पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी बाड़ाणी को अतिक्रमी मानते हुए भूमि की लगान 0.25 रूपये का 50 गुणा 12.50 रूपये का पूर्णांक 13 रूपये शास्ति अधिरोपित की जाती है। भू.अ. निरीक्षक अलाय व पटवारी हल्का बाडाणी को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को अतिक्रमी रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जावे व बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों व साक्ष्य सबूतों के विपरीत जाकर विधि विरूद्व तरीके से जैर अपील निर्णय पारित किया [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट का उक्त जायगा पर 1993 के समय से कब्जा स्थित है व मकान व दुकान बनी हुई है। अपीलांट ने कभी भी संवत् 2076 में नया अतिक्रमण नहीं किया है फिर भी पटवारी हल्का बाड़ाणी द्वारा अपीलांट का नया अतिक्रमण [illegible] एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजात एवं सबूतों का अवलोकन किए बगैर अपीलांट का पुराना कब्जा होने के उपरान्त भी संवत् 2076 में नया अतिक्रमण मानते हुए गलत रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में श्रीमान जी के समक्ष एक अपील 133/1993 हनुमानराम बनाम अखाराम चली जिसमें अखाराम द्वारा अपीलांट की उक्त जायगा को अपनी खुद की कब्जे की जायगा बताते हुए तत्कालीन तहसीलदार नागौर द्वारा शिकायतकर्ता अखाराम ने उक्त जायगा को अपनी कब्जे व स्वामित्व की बताकर 22/5/1993 को आवंटन करवा लिया। जिसके विरूद्व अपीलांट के पिता द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में एक अपील 75 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 15/5/1995 को अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा निर्णय पारित किया जिसमें अखाराम द्वारा अपने हक में किये गये नियमन को निरस्त करते हुए उक्त जायगा को अपीलांट के पिता हनुमानराम की मानी गयी तथा नियमन की सिफारिश भी अपने निर्णय में गयी। उससे भलीभांति साबित है कि उक्त जायगा अपीलांट की पिता के समय से व पुराने समय से कब्जा व स्वामित्व की स्थित रही है तथा किसी भी रास्ते पर अपीलांट ने अतिक्रमण नहीं किया। मात्र शिकायतकर्ता अखाराम द्वारा की गई गलत शिकायत के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व 91 एल. आर.एक्ट की कार्यवाही करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया गया जो विधि विरूद्व व दस्तावेजों के विपरीत होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट की उक्त जायगा 30X60 का भूखण्ड जिसमें पुराने समय से मकान व दुकान बनी हुई है तथा पूर्व में शिकायतकर्ता अखाराम के हक में इसी जमीन का आवण्टन तत्कालीन तहसीलदार जी द्वारा दिनांक 22.05.1993 को किया गया। जिसमें उक्त भूमि को खसरा नम्बर 226 की भूमि माना गया तथा पूर्व में अपीलांट के पिता द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व की गयी अपील संख्या 133/1993 अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर दिनांक 30.09.1993 को पटवारी हल्का द्वारा मौजीज व्यक्तियों के समक्ष उक्त रिपोर्ट तैयार की जिसमें उक्त जगह को खसरा नम्बर 226 गैर मुमकिन रास्ते के उत्तर के तरफ स्थित होना अपनी रिपोर्ट में होना दर्ज किया तथा उक्त रास्ता नागौर बीकानेर रोड से मिलना बताया तथा वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण होना पाया। पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहीं भी खसरा नम्बर 157 का हवाला नहीं दिया गया तथा अपीलांट को खसरा नम्बर 226 रकबा 30X60 फीट अपीलांट का कब्जा माना गया। इस प्रकार पूर्व में जो भी आंवटन 1993 में हुआ व अपर जिला कलक्टर नागौर के आदेश से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई व आवंटन निरस्त किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही खसरा नम्बर 226 गैर मुमकिन रास्ते के संबंध में की गई। जबकि वर्तमान में उसी जगह को खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण होना मानकर अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही की गई व विधि विरूद्व व पूर्व के दस्तावेजों का अवलोकन किए बगैर व पूर्व में चली अपील व उसके निर्णय पर गौर किए बगैर गलत रूप से व विधि विरूद्व रूप से निर्णय जैर अपील पारित किया जो खारिज किए जाने योग्य है।

अपीलांट की उक्त जायगा के दक्षिण में ग्राम पंचायत बाड़ाणी द्वारा गौरव पथ का निर्माण करवा रखा है तथा वर्तमान की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 में तहसीलदार नागौर पटवारी हल्का बाडाणी व आर.आई. हल्का ने रिपोर्ट तैयार की है उसमें अपीलांट की उक्त जायगा मकान व दुकान के दक्षिण में स्थित रास्ता जिस पर गौरव पथ का निर्माण करवा रखा है उस रिपोर्ट में मौके पर गौरव पथ पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। यह हवाला अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में दी गई है तथा दक्षिणी तरफ रास्ता गौरव पथ चालू स्थिति में है व चौड़ा भी है। जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है व पूर्व के सम्पूर्ण दस्तावेजों व वर्तमान की रिपोर्ट में अतिक्रमण नहीं होना लिखने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त जायगा का कुछ हिस्सा पूर्व में नेशनल हाईवे 89 को चौड़ा किया गया जिसमें अपीलांट का कुछ हिस्सा अवाप्त किया गया व अवाप्त शुदा भूमि की एवज में अपीलांट के पक्ष में 45,798/– का अवार्ड भी जारी हुवा व अपीलांट के पिता द्वारा उक्त मुआवजा राशि भी उठाई गई। इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी प्रथम दृष्टया की उक्त जायगा स्वामित्व की मानी है तथा उक्त जागया स्वामित्व की व कब्जा की मानकर ही अवाप्त शुदा भूमि का अवार्ड जारी किया तथा इस संबंध में अपीलांट द्वारा द[illegible] भी उक्त दस्तावेजों पर गौर किये बगैर अपीलान्ट को उक्त जायगा पर गलत रूप [illegible]तिक्रमी मानते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया जो काबिल खारिज कि[illegible] है।

अपीलांट के विरूद्व मात्र शि[illegible]तकर्ता अखाराम [illegible] किए गए शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया तथा गलत रूप से अपीलांट को [illegible] 2076 में [illegible]या अतिक्रमी मानते हुए कार्यवाही की गई जबकि अपीलांट की उक्त जायगा पर [illegible]X60 फीट पर अपने पिता के समय से कब्जा स्थित है तथा पुराने समय में मकान व दुकान बनी हुई है तथा 50 वर्षो से अपीलांट व उसके पिता इत्यादी उक्त जायगा में निवास कर रहे है तथा उक्त जायगा के दक्षिणी तरफ रास्ता जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:29 IST
Reason: SelfAttested

गौरव पथ है व खुला है व अपीलांट द्वारा नया अतिक्रमण नहीं किया है व पुराने सम्पूर्ण दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है फिर भी उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजो, परिस्थितियों, साक्ष्य सबूतों से विपरीत जाकर पारित निर्णय जैर अपील को खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 142/2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2020 को निरस्त करने एवं अपीलांट का पुराने समय से कब्जा मानते हुए अपीलांट के हक में नियमन करने का आदेश पारित कराने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पटवारी बाडाणी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2019 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन रास्ता की 00–01 बीघा भूमि पर दुकान, मकान व कब्जा कर नाजायज अतिक्रमण किया है, जो उक्त रिपोर्ट से साबित है। इसके पश्चात प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री अखाराम द्वारा जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में तहसीलदार नागौर, भू अभिलेख निरीक्षक अलाय तथा पटवारी हल्का बाडाणी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को मौका देखकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि रास्ते की नहीं भूमि नहीं होने एवं स्वंय के स्वामित्व की होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताया है, पुराने कब्जे के आधार पर स्वामित्व साबित नहीं होता है। राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि रास्ते की होने एवं जिस भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा होने से निर्णय जैर अपील पारित करने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी बाडाणी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2019 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन रास्ता की 00–01 बीघा भूमि पर दुकान, मकान व कब्जा कर नाजायज अतिक्रमण किया है, जो उक्त रिपोर्ट से साबित है। इसके पश्चात प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री अखाराम द्वारा जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में तहसीलदार नागौर, भू अभिलेख निरीक्षक अलाय तथा पटवारी हल्का बाडाणी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को मौका देखकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके बिन्दु संख्या–(1) में उल्लेखित अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 157 में 00–01 बीघा भूमि पर पक्की संरचनाऐं बनायी हुई पायी गयी। उक्त सरंचनाओं के दक्षिण में ग्राम पंचायत बाराणी द्वारा गौरव पथ का निर्माण करवा रखा है। मौके पर गौरव पथ पर अतिक्रमण नहीं पाया। पटवारी हल्का द्वारा बताया कि रामचन्द्र द्वारा बनायी गई पक्की सरंचनाऐं खसरा नम्बर 157 रकबा 00–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 00–01 बीघा भूमि पर बनायी गई है। बिन्दु संख्या–(5) में उल्लेखित अनुसार खसरा नम्बर 157 रकबा 00–02 बीघा में से 00–01 भूमि पर किये गये अतिक्रमण बाबत रामचन्द्र पुत्र हनुमानराम ने बताया कि मेरे पिता के जीवनकाल में दुकान बनायी थी और 1993 से पूर्व का कब्जा था। बिन्दु संख्या–(6) में उल्लेखित अनुसार रामचन्द्र पुत्र हनुमानराम द्वारा जुर्माना की रसीदात की प्रतियां प्रस्तुत की। इस प्रकार पटवारी बाडाणी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2019 एवं तहसीलदार नागौर, भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय तथा पटवारी हल्का बाडाणी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को मौका देखकर तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 157 की भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जो काबिल नियमन भी नहीं है। उक्त रास्ते की 00–01 बीघा भूमि पर अपीलान्ट रामचन्द्र द्वारा दुकान मकान व कब्जा कर अतिक्रमण किया जाना साबित है, जो भूमि भी नाकाबिल नियमन है। अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि रास्ते की भूमि नहीं होने एवं स्वंय के स्वामित्व की होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि ने वादग्रस्त भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताया है, पुराने कब्जे मात्र से स्वामित्व साबित नहीं होता है। राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का अवैध कब्जा साबित मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर